



2026:AHC:13296

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45237 /2025

अमित मैसी उर्फ अक्षय

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: अमितेश कुमार श्रीवास्तव, कैलाश चंद्र
विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमितेश कुमार श्रीवास्तव के प्राधिकार के तहत श्री आदित्य प्रताप मिश्रा तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय सिंह को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक अमित मैसी उर्फ अक्षय की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 1247 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 एवं 5(1), थाना बारादरी, जनपद बरेली में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है, उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 20.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से पलायन करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सूचक द्वारा इस आरोप को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अभियुक्त ने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन किया या कराने का प्रयास किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्त के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथमदृष्टया स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तथापि वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु मामला बनता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. अतः अभियुक्त-आवेदक **अमित मैसी उर्फ अक्षय**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, उसे व्यक्तिगत मुचलका तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

3. आवेदक अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न प्रदान की जाए।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 20 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।